न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 274/2022

रजनीश पुत्र द्वारका प्रसाद जाति पुरोहित निवासी मालियों की ढाणी हाल आबाद मोहल्ला शेखपुरा, पुलिस लाईन रोड़ एपल हॉस्पिटल के पास सीकर तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. द्वारका प्रसाद पुत्र मनोहरलाल
2. सरोज
3. कंचन
4. पुनम पुत्रियां द्वारका प्रसाद समस्त जाति पुरोहित निवासीगण मालियों की गली, स्टेशन रोड़, सीकर तहसील व जिला सीकर
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कृषि उपज मंडी सीकर जरिये मैनेजर
6. उप पंजीयक सीकर
7. तहसीलदार, सीकर

– प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ.

उपस्थित –वकील वादी– श्री गणपतलाल चौधरी
वकील प्रतिवादीगण – श्री महेन्द्र जाखड़

निर्णय

दिनांक : 12.1.2023

वकील वादी ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 5.1600 है0 एवं 491/844 रकबा 0.0200 है0 वाके ग्राम कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके पूर्व में 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार पक्षकारों के पूर्वज मनोहरलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

सीताराम रहे हैं। जिनके स्वर्गवास के बाद भूमियां विरासतन प्रतिवादी सख्या 1 व मनोहरलाल के अन्य वारिसान को प्राप्त हुई। इस प्रकार भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र एवं पुत्रियां है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र व पुत्रियों का पिता के जीवनकाल में ही समान हिस्सा होता है। वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4/35 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। जो पैतृक है। इसलिये वादी अपने हक हिस्से की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। दिनांक 15.8.22 को वादी अपने हिस्से की भूमियों की देखभाल करने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ 4–5 भू माफिया किस्म के व्यक्तियों को विवादित भूमि पर लेकर आया तथा सम्पूर्ण भूमियों को विक्रय करने की बात करने लगा। वादी द्वारा मना किया गया तो धमकी दी कि तुम्हारा इन भूमियों में कोई हक हिस्सा नही है । मै अकेला खातेदार हूं इसलिये सम्पूर्ण भूमियों को विक्रय करूंगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वादी के अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा जिसकी तलाफी संभव नहीं है। इसलिये वादी का वाद स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 प्रत्येक को 4/175 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये वकील उपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा जवाब दावा पेश नही किया गया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वयं उपस्थित आकर राजीनाम पेश किया। इनके अधिवक्तागण द्वारा वाद को राजीनामानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 बावजूद विधिवत तामिल के उपस्थित नही आये। इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 5.1600 है0 एवं 491/844 रकबा 0.0200 है0 वाके ग्राम कहारों की ढाणी में 4/35 हिस्से की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता के जीवनकाल में ही पुत्र एवं पुत्रियों का समान हक अधिकार पैतृक सम्पतियों में रहता है। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 अपने पुत्र व पुत्रियों को हिस्सा देना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 5.1600 है0 एवं 491/844 रकबा 0.0200 है0 वाके ग्राम कहारों की ढाणी में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 4/35 में से वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 को समान रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि बदस्तुर जमाबंदी रहेगी। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.1.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी, सीकर